न्यायालय सहायक कलक्टर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 1074/2024

निर्णय दिनांक : 28.1.25

मंजू बनाम अमर सिंह वगै0

1. मंजू पुत्री सोनाराम उर्फ सोहनलाल उम्र 38 वर्ष पत्नी प्रहलाद निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
2. सुशीला पुत्री सोनाराम उर्फ सोहनलाल उम्र 35 वर्ष पत्नी बहादुर निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

वादियागण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र सोनाराम उर्फ सोहनलाल
2. मुकेश पुत्र सोनाराम उर्फ सोहनलाल
3. उषा पुत्री सोनाराम उर्फ सोहनलाल
4. कृष्णा पुत्री सोनाराम उर्फ सोहनलाल
5. गिता पुत्री सोनाराम उर्फ सोहनलाल
6. ममता पुत्री सोनाराम उर्फ सोहनलाल
7. केशर देवी पत्नी सोनाराम उर्फ सोहनलाल

   समस्त निवासीगण टिटनवाड़ तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं।

8. राजस्थान सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुन्झुनूं।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 158 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद वादियागण निम्न आशय का पेश किया गया कि ग्राम टिटनवाड़ में हरूराम मेघवाल नाम का एक व्यक्ति हुआ। हरूराम के तीन पुत्र बीरबलराम, माडुराम व सोनाराम उर्फ सोहनलाल हुए बीरबलराम का विवाह झिमकोरी देवी के साथ हुआ. माडुराम का विवाह मेवली देवी के साथ हुआ एवं सोनाराम उर्फ सोहनलाल का विवाह केशरी देवी के साथ हुआ। झिमकोरी देवी, मेवली देवी व केशर देवी सगी बहने है। माडुराम व मेवली देवी के एक पुत्र जगदीश व तीन पुत्रिया मीरा, भागोती व पार्वती हुई उसके बाद दिनांक 10–01–1981 को माडुराम का देहान्त हो गया। मेघवाल समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार माडुराम का देहान्त हो जाने के बाद माडुराम की पत्नी मेवली देवी का सोनाराम उर्फ सोहनलाल के साथ नाता विवाह (पुर्न विवाह) कर दिया। उसके बाद मेवली देवी सोनाराम उर्फ सोहनलाल की पत्नी के रूप में रही एवं दाम्पत्य का निर्वहन किया जिससे वादियागण का जन्म हुआ। यह कि हरूराम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1198 रकबा 0.8100 हैक्टर वाके ग्राम टिटनवाड़ तहसील गुढ़ागौडजी में रही। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1198 के अधिकार हरूराम की मृत्यु के बाद हरूराम के तिनों पुत्र बीरबल, माडुराम व सोनाराम उर्फ सोहनलाल को उत्तराधिकार में प्राप्त हुए। इस प्रकार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1198 हिस्सा 1/3 के हक व अधिकार सोनाराम उर्फ सोहनलाल को मिले। सोनाराम उर्फ सोहनलाल के दो पत्नीया थी केशर देवी (विवाहिता पत्नी) व मेवली देवी (नाता विवाह पत्नी) थी। केशर देवी की कोख से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 पैदा हुए एवं मेवली देवी के सोनाराम के साथ नाता करने के बाद मेवली देवी की कोख से सोनाराम की पुत्री मंजू (वादिया नं० 1) का जन्म वर्ष 1986 को एवं सुशीला (वादिया नं० 2) का जन्म वर्ष 1989 को हुआ इस प्रकार सोनाराम उर्फ सोहनलाल की मृत्यु के समय कुल 9 वारिस (दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा चार पुत्रिया प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 प्रतिवादीगण संख्या 7 से पैदा हुई एवं दो पुत्री वादिया मेवली देवी से पैदा हुई एवं एक विवाहिता पत्नी प्रतिवादी नम्बर 7) हुए। किन्तु सोनाराम उर्फ सोहनलाल की मृत्यु के बाद सोनाराम उर्फ सोहनलाल के हिस्सा 1/3 की भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम कायम कर दिया एवं वादियागण को छोड़ दिया जबकि वादियागण को सोनाराम के हिस्सा 1/3 में

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

के हिस्सा 2/9 (प्रत्येक वारिस को हिस्सा 1/9) के खातेदारी अधिकार विरासत में प्राप्त हुए जिसमें वादियागण मौके पर काबिज काश्त है जिसकी घोषणा करवाना आवश्यक होने से यह वाद बाबत घोषणार्थ पेश करना आवश्यक हुआ है। हरूराम के पुत्र सोनाराम उर्फ सोहनलाल के हिस्सा 1/3 की भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 2113/1198 रकबा 0.2567 कायम किये गये है उसी हिस्से के बाबत अर्थात वर्तमान खसरा नम्बर 2113/1198 के बाबत ही विवाद है। हरूराम के शेष दो पुत्रों बीरबल व माडुराम के हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। वादियागण ने अपने प्रतिनिधि के जरिये उक्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2113/1198 रकबा 0.2567 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड की नकले पटवारी हल्का टिटनवाड से दिनांक 3–9–2024 को प्राप्त कर प्रतिवादीण को सहमति से राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 बावजूद तामील अनुपस्थित होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादियागगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर विभाजन का अनुतोष विड्रॉ किया गया। वादिया की ओर से अपना चीफ का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी की ओर से एडवोकेट ईश्वर सिंह उपस्थित। एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता ने मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री करने में सहमति जाहिर की। अधिवक्तागण सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी सिद्ध होने पर प्रारम्भिक तौर पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

—: निर्णय :—

वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम टीटनवाड़ पटवार हल्का टीटनवाड की सरहद में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2113/1198 रकबा 0.2567 है0 में वादियागण को संयुक्त रूप से 2/9 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को प्रत्येक को 1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

28/1/25

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू